उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 70वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 27.12.2021

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522. 2307592, 2307542 4004523 फैक्सः 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.12.2021 को सम्पन्न हुई 70वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –सदस्य / सचिव
3. श्री अशोक कुमार सिंह, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) –सदस्य
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) --सदस्य
5. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
6. श्री सुनील श्रीवास्तव, प्र0 सहायक निदेशक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) –सदस्य
7. श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) –सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री सलिल कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमहाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार, (भू–अर्जन), यूपीडा।
7. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, नोडल अधिकारी (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे), यूपीडा।
8. श्री रवीन्द्र गोडबोले, नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे), यूपीडा।
9. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (तकनीकी) डिफेन्स कॉरिडोर, यूपीडा।
10. श्री अरूण कुमार पाठक, मुख्य महाप्रबन्धक (विद्युत), यूपीडा।
11. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
12. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी, भू–अर्जन, यूपीडा।
13. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
14. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
15. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
16. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
17. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
18. श्री कमल कुमार, सलाहकार (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
19. श्री के0के0 अस्थाना, वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद नियोजक), यूपीडा।
20. श्री सियाराम मौर्य, वरिष्ठ भू–अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
21. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
22. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 70वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः–

एजेण्डा बिन्दु–01:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 22.10.2021 को सम्पन्न हुई 69वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया:–**

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 69वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 22.12.2021 को सम्पन्न 69वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:–**

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 22.10.2021 को सम्पन्न हुई 69वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– **मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 104+168 पर सी.एन.जी. स्टेशन की स्थापना हेतु यूपीडा द्वारा लीज पर भूमि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में:–**

यूपीडा निदेशक मण्डल को निम्नवत् अवगत कराया गया:–

1– मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 104 (जनपद–इटावा) पर एक सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु 2500 वर्ग मी0 (50X50 मी0) भूमि, यूपीडा द्वारा पूर्व में चेनेज 218 पर सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु आवंटित भूमि के समतुल्य दर एवं उन्हीं नियम एवं शर्तों के आधार पर आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया था। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया था कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या–PNGRB/CGD/BID/9/2018/GA/79/ Uttar Pradesh-Bid Evaluation दिनांक 13.09.2018 माध्यम से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित किये जाने हेतु उन्हें जनपद औरैया, कानपुर देहात एवं इटावा के भौगोलिक क्षेत्र हेतु अधिकृत किया गया है तथा सी.एन.जी. स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु वांछित भूमि भी उनके अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र से आच्छादित है।

2– उपरोक्त के क्रम में यूपीडा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या–1968 / 77–3–2021–06एम / 21 दिनांक 16.09.2021 के द्वारा मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज–218, ग्राम–गुजेपुर, परगना एवं तहसील–बिल्हौर, जिला–कानपुर नगर पर स्थित 2500 वर्ग मी0 भूमि रू0 200 प्रति वर्ग मी0 प्रतिमाह (जी0एस0टी0 सहित) की दर से लीज रेन्ट (लीज अवधि शुरू होने के 02 वर्ष पश्चात् 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित) पर आवंटित किये जाने हेतु निम्नवत् निर्णय लिया गया था:–

(क) मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा उन्हें सी0एन0जी0 स्टेशन हेतु 'जहाँ है, जैसा है' के आधार पर भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया जाता है।

(ख) मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को सी0एन0जी0 स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु लीज पर प्रदान की जाने वाली भूमि अनुबन्ध अवधि, 29 वर्ष 11 माह अथवा पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रेग्यूलेटरी बोर्ड द्वारा मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को अधिकृत अवधि, जो भी पहले समाप्त होगी, तक ही होगी।

3– उपरोक्त शासनादेश के क्रम में यूपीडा द्वारा मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 218 पर सी0एन0जी0 स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 22.09.2021 को 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी किया गया था।

4– यूपीडा निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर फ्यूल स्टेशन्स स्थापित किये जाने हेतु ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के चयन पर संस्तुति प्राप्त करने के उद्देश्य से आहुत 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 20.09.2021 में 'सचिव समिति' द्वारा यह निदेशित किया गया था कि अथॉरिटीज इन्जीनियर्स, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सलटेन्ट्स, एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिटर, रोड सेफ्टि इन्जीनियर्स इत्यादि के चयन तथा वे–साईड अमेनिटीज, टोल कॉन्ट्रैक्टर, एटीएमएस कॉन्ट्रैक्टर, ओएमसीज फॉर फ्यूल स्टेशन्स इत्यादि से सम्बन्धित एजेन्सियों के चयन के सम्बन्ध में प्रोसेसिंग/मूल्यांकन/ अन्तिमीकरण/अनुमोदन हेतु उ0प्र0 शासन को रिफर करने के बजाय यूपीडा द्वारा अपने बोर्ड के माध्यम से उक्त कार्यवाही करायी जाये।

5– यूपीडा निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनेज 218 पर उपर्लिखित शासनादेश दिनांक 16.09.2021 मे इंगित दर एवं शर्तो के आधार पर मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 को 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 104+168 (ग्राम–बरौली कला, तहसील–सैफई, जिला–इटावा) पर एक सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु 2500 वर्ग मी0 (50X50 मी0) भूमि रू0 200 प्रति वर्ग मी0 प्रतिमाह (जीएसटी सहित) की दर से लीज रेन्ट (लीज अवधि शुरू होने की तिथि से दो वर्ष पश्चात् 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित) पर निम्न मुख्य शर्तों सहित आवंटित किया जाना प्रस्तावित है:–

i. The lease period shall be valid only for 29 years 11 months or till the validity period of authorization for CNG distribution in favour of M/s Torrent Gas Pvt. Ltd. by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, whichever is earlier.

ii. The Lessee shall provide a sum equivalent to 4 (four) months of lease rental as Security Deposit to the Lessor.

iii. If the rent reserved or any part thereof shall be in arrears for a period of one week, Lessee shall pay a penalty @ Rs. 10,000.00 per week to the Lessor.

iv. The rent shall be payable quarterly in the first week of the first month of the respective quarter and, if the Quarterly rent or any part or penalty thereof shall be in arrears till the last day of the said quarter.

v. The Lessee shall not licence or sublet the demised premises or any part thereof for use for all or any of the purpose.

vi. The Lessee shall obtain and renew all necessary licenses and permits and to pay all license and other fees and cesses levied in respect of the Leased Land.

vii. The Lessee shall make all necessary arrangement and obtain necessary connections for electricity and water etc. from concerned Departments.

viii. The Lessee shall pay property tax, municipal tax on building/superstructure constructed by it on the Leased Land, and also any tax or other imposition levied by the Government or any Municipality / Authority on any Signboard/ Advertisement etc put up by the Lessee.

ix. The stamp duty and registration charges payable in respect of this agreement and duplicate thereof shall be borne and paid by the Lessee.

6— उक्त सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु यूपीडा एवं मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0लि0 के मध्य निष्पादित होने वाले अनुबन्ध का आलेख्य भी यूपीडा निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही / निर्णयः— उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार—विमर्शोपरान्त, यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 को 'आगरा—लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 104+168 (ग्राम—बरौली कला, तहसील—सैफई, जिला—इटावा) पर एक सी. एन.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु 2500 वर्ग मी0 (50X50 मी0) भूमि रू0 200 प्रति वर्ग मी0 प्रतिमाह (जीएसटी सहित) की दर से लीज रेन्ट (लीज अवधि शुरू होने की तिथि से दो वर्ष पश्चात् 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित) पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु यूपीडा एवं मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0लि0 के मध्य निष्पादित होने वाले अनुबन्ध के आलेख्य पर अनुमोदन प्रदान करते हुये यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 को 'लेटर आफ अवार्ड' जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा उन्हें सी.एन.जी. स्टेशन हेतु 'जहां है, जैसा है' आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु—04:— **स्थानीय कला को बढ़ावा देने हेतु पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत निर्मित सेतुओं एवं फ्लाईओवर आदि पर पेंटिग के द्वारा कलाकृतियों को बनाये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में:—**

मुख्य महाप्रबन्धक (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग—03, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1574 / 77—3—2021—27बैठक / 19 दिनांक 02.08.2021 के द्वारा निर्देशित किया गया कि दिनांक 04.06.2021 को उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा के दौरान निर्णय लिया गया कि स्थानीय कला को बढ़ावा देने हेतु पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सेतुओं एवं फ्लाईओवर आदि पर पेंटिग के द्वारा कलाकृतियां बनवाई जाये।

अवगत कराना है कि वाल आर्ट का कार्य अलग प्रवृत्ति का है एवं कार्य डी.पी.आर. के अंतर्गत नहीं लिया गया है एवं यह कार्य सिविल कार्यो हेतु अनुबन्धित ई.पी.सी. कान्ट्रक्टरों द्वारा नहीं कराया जा सकता है।

उपरोक्त कार्य हेतु एजेण्डा प्रस्ताव में दिये गये प्रस्ताव के अनुसार अनुमन्य टैक्सेस एवं कन्टीन्जेन्सी आदि को सम्मिलित करते हुए कुल सम्भावित व्यय रू0 24.00 करोड़ अनुमानित है, जिसे आगणन की आकस्मिकता निधि से वहन किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार दर्शित कुल चार आर्ट ग्रुप हेतु निविदाएं आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है एवं भिन्न—भिन्न स्ट्रक्चर्स पर, निविदा उपरान्त चयनित संस्था(ओं) द्वारा प्रस्तावित वाल आर्ट थीम का अनुमोदन प्रदान करने हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया जाना है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. वरिष्ठ प्रबन्धक, आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग, यूपीडा— सदस्य सचिव।
2. आर्टस कालेज, टैगोर मार्ग, लखनऊ से एक फैकल्टी मेम्बर, जिन्हें समिति की प्रति बैठक हेतु एक समुचित मानदेय (प्रस्तावित रू0 2000) देय होगा।
3. ललित कला एकेडमी, लखनऊ से एक फैकल्टी मेम्बर, जिन्हें समिति की प्रति बैठक हेतु एक समुचित मानदेय (प्रस्तावित रू0 2000) देय होगा।

एवं माह में एक बार समिति के सदस्यों (अध्यक्ष के अतिरिक्त) द्वारा कुल कार्यो की गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा। आर्टस कालेज एवं ललित कला एकेडमी के दोनों फैकल्टी मेम्बर्स को प्रति भ्रमण हेतु एक समुचित मानदेय (प्रस्तावित रू0 2000) देय होगा।

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–05:– **मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय व्यवस्था के लिए एस0बी0आई0 कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत फाइनेंशियल एडवाजरी रिपोर्ट के सम्बन्ध में:–**

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल ने एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा यूपीडा को उपलब्ध करायी गयी फाइनल फाइनेंशियल एडवाइजरी रिपोर्ट, शासन के विचारार्थ विस्तृत नोट तथा 'प्रीलिमिनरी इन्फार्मेशन मेमोरेण्डम' का अवलोकन किया व अवलोकन उपरान्त इन सभी रिपोर्टो को अनुमोदन प्रदान किया।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु पी.पी.पी. मॉडल पर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी जिनको शासन द्वारा अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इसका विस्तृत विवरण निदेशक मण्डल को एजेंडा बिन्दु संख्या 19 के अन्तर्गत उपलब्ध करा दिया गया था।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदनः–**

मुख्य महाप्रबन्धक (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व निदेशक मण्डल की बैठक में चेंज ऑफ स्कोप के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया था, तत्क्रम में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुये चेंज ऑफ स्कोप के आदेश निर्गत कर दिये गये है, जो निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ एजेण्डा नोट में प्रस्तुत किया गया है।

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–07:– **मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे' के 04 वे–साईड एमेनिटीज परिसर में सी.एन.जी. स्टेशन की स्थापना हेतु प्रत्येक स्थान पर 2500 वर्ग मी0 भूमि यूपीडा द्वारा लीज पर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में:–**

यूपीडा निदेशक मण्डल को निम्नवत् अवगत कराया गयाः–

1– मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा प 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे' के 04 (चार) स्थानों पर सी.एन. जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु 2500 वर्ग मी0 भूमि (प्रति सी0एन0जी0 स्टेशन हेतु), यूपीडा द्वारा पूर्व में 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 218 पर सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु आवंटित भूमि के समतुल्य दर एवं उन्हीं नियम एवं शर्तो के आधार पर आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित किये जाने हेतु उन्हें जनपद– आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के भौगोलिक क्षेत्र हेतु पत्र संख्या–PNGRB/ CGD/BID/10/2018/GA/10.36/Schedule-D दिनांक 29.03.2019 के द्वारा एवं पत्र संख्या–PNGRB/CGD/BID/10/2018/GA/10.40/Schedule-D दिनांक 29.03.2019 के द्वारा जनपद– गोण्डा एवं बाराबंकी हेतु अधिकृत किया गया है।

2– उपरोक्त के क्रम में यूपीडा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या–1968 / 77–3–2021–06एम / 21 दिनांक 16.09.2021 के द्वारा मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज–218, ग्राम–गुजेपुर, परगना एवं तहसील–बिल्हौर, जिला–कानपुर नगर पर स्थित 2500 वर्ग मी0 भूमि रू0 200 प्रति वर्ग मी0 प्रतिमाह (जी0एस0टी0 सहित)

की दर से लीज रेन्ट (लीज अवधि शुरू होने के 02 वर्ष पश्चात् 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित) पर आवंटित किये जाने हेतु निम्नवत् निर्णय लिया गया था:—

(क) मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा उन्हें सी0एन0जी0 स्टेशन हेतु 'जहाँ है, जैसा है' के आधार पर भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया जाता है।

(ख) मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को सी0एन0जी0 स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु लीज पर प्रदान की जाने वाली भूमि अनुबन्ध अवधि, 29 वर्ष 11 माह अथवा पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रेग्यूलेटरी बोर्ड द्वारा मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को अधिकृत अवधि, जो भी पहले समाप्त होगी, तक ही होगी।

3— उपरोक्त शासनादेश के क्रम में यूपीडा द्वारा मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को 'आगरा—लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 218 पर सी0एन0जी0 स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 22.09.2021 को 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी किंया गया था।

4— यूपीडा निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर फ्यूल स्टेशन्स स्थापित किये जाने हेतु ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के चयन पर संस्तुति प्राप्त करने के उद्देश्य से आहूत 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 20.09.2021 में 'सचिव समिति' द्वारा यह निदेशित किया गया था कि अथॉरिटीज इन्जीनियर्स, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सलटेन्ट्स, एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिटर, रोड सेफ्टि इन्जीनियर्स इत्यादि के चयन तथा वे—साईड अमेनिटीज, टोल कॉन्ट्रैक्टर, एटीएमएस कॉन्ट्रैक्टर, ओएमसीज फॉर फ्यूल स्टेशन्स इत्यादि से सम्बन्धित एजेन्सियों के चयन के सम्बन्ध में प्रोसेसिंग/मूल्यांकन/अन्तिमीकरण/अनुमोदन हेतु उ0प्र0 शासन को रिफर करने के बजाय यूपीडा द्वारा अपने बोर्ड के माध्यम से उक्त कार्यवाही करायी जाये।

5— यूपीडा निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि आगरा—लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनेज 218 पर उपर्लिखित शासनादेश दिनांक 16.09.2021 मे इंगित दर एवं शर्तो के आधार पर मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 को 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे' के निम्न 04 स्थानों पर सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु 2500 वर्ग मी0 भूमि, रू0 200 प्रति वर्ग मी0 प्रतिमाह (जीएसटी सहित) की दर से लीज रेन्ट (लीज अवधि शुरू होने की तिथि से दो वर्ष पश्चात् 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित), भूमि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है:—

S. No.	Chainage	Side	Package no. of Purvanchal Expressway	Tehsil	District	Village	Gata no.	Affected Area (Hectare)
1.	19+200	LHS	1	Haidargarh	Barabanki	Kaboolpur	185, 186, 190	0.2500
2.	195+600	LHS	5	Phulpur	Azamgarh	Imli Mahua	296	0.2500
3.	266+800	LHS	7	Muhammadabad Gohna	Mau	Bardiha	187, 188, 197	0.2500
4.	230+900	RHS	6	Sadar	Azamgarh	Kishun Daspur	31M	0.0650
							35M	0.068
							36M	0.0005
							41M	0.0050
							40M	0.0600
							38M	0.0060
							80M	0.0005
							91M	0.0040
							39M	0.0410
							Total:	0.2500

6— मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0लि0 को उपरोक्त भूमि आवंटित किये जाने की प्रमुख शर्ते निम्नवत् प्रस्तावित हैं:—

i. The lease period shall be valid only for 29 years 11 months or till the validity period of authorization for CNG distribution in favour of M/s Torrent Gas Pvt. Ltd. by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, whichever is earlier.
ii. The Lessee shall provide a sum equivalent to 4 (four) months of lease rental as Security Deposit to the Lessor.
iii. If the rent reserved or any part thereof shall be in arrears for a period of one week, Lessee shall pay a penalty @ Rs. 10,000.00 per week to the Lessor.
iv. The rent shall be payable quarterly in the first week of the first month of the respective quarter and, if the Quarterly rent or any part or penalty thereof shall be in arrears till the last day of the said quarter.
v. The Lessee shall not licence or sublet the demised premises or any part thereof for use for all or any of the purpose.
vi. The Lessee shall obtain and renew all necessary licenses and permits and to pay all license and other fees and cesses levied in respect of the Leased Land.
vii. The Lessee shall make all necessary arrangement and obtain necessary connections for electricity and water etc. from concerned Departments.
viii. The Lessee shall pay property tax, municipal tax on building/superstructure constructed by it on the Leased Land, and also any tax or other imposition levied by the Government or any Municipality/Authority on any Signboard/ Advertisement etc. put up by the Lessee.
ix. The stamp duty and registration charges payable in respect of this agreement and duplicate thereof shall be borne and paid by the Lessee.

7— उक्त सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन्स स्थापित किये जाने हेतु यूपीडा एवं मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0लि0 के मध्य निष्पादित होने वाले अनुबन्ध का आलेख्य भी यूपीडा निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

<u>कार्यवाही / निर्णय</u>:— उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार—विमर्शोपरान्त, यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 को 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे' के निम्न 04 स्थानों पर सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु 2500 वर्ग मी0 भूमि, रू0 200 प्रति वर्ग मी0 प्रतिमाह (जीएसटी सहित) की दर से लीज रेन्ट (लीज अवधि शुरू होने की तिथि से दो वर्ष पश्चात् 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित) पर भूमि आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

S. No.	Chainage	Side	Package no. of Purvanchal Expressway	Tehsil	District	Village	Gata no.	Area (Hectare)
1.	19+200	LHS	1	Haidargarh	Barabanki	Kaboolpur	185, 186, 190	0.2500
2.	195+600	LHS	5	Phulpur	Azamgarh	Imli Mahua	296	0.2500
3.	266+800	LHS	7	Muhammadabad Gohna	Mau	Bardiha	187, 188, 197	0.2500
4.	230+900	RHS	6	Sadar	Azamgarh	Kishun Daspur	31M	0.0650
							35M	0.068
							36M	0.0005
							41M	0.0050
							40M	0.0600
							38M	0.0060
							80M	0.0005
							91M	0.0040
							39M	0.0410
							Total:	0.2500

उक्त सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन्स स्थापित किये जाने हेतु यूपीडा एवं मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0लि0 के मध्य निष्पादित होने वाले अनुबन्ध के आलेख्य पर अनुमोदन प्रदान करते हुये यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 को 'लेटर आफ अवार्ड' जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा उन्हें प्रत्येक सी.एन. जी. स्टेशन्स हेतु 'जहां है, जैसा है' आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **Approval for uploading "REQUEST FOR QUALIFICATION CUM REQUEST FOR PROPOSAL (RFQ-cum-RFP) FOR SELECTION OF ARCHITECTURE FIRMs FOR COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURAL SERVICES DESIGN, AND BUILDING SERVICES FOR NODES OF UTTAR PRADESH DEFENCE INDUSTRIAL CORRIDOR**

कार्यवाही/निर्णय The Board approves the proposal. Accordingly the RFQ-cum-RFP be advertised inviting participation of interested Architectural Consultancy Firms for planning and preparation of requisite tender documents.

एजेण्डा बिन्दु–09:– **Approval for Revision of estimates for "FOUR LANE ROAD CONNECTING PALVAL- TAPPAL- ALIGARH NH-22A AT VILLAGE ANDLA, TEHSIL KHAIR, DISTT ALIGARH TO DEFENCE NODE ALIGARH".**

कार्यवाही/निर्णय 1 The Board concurs the proposal for revision of sanctioned estimate of Rs. 10.21 Cr. to Rs. 13.6237 Cr. due to re-alignment of Road, it being inescapable and unavoidable considering the strategic importance and the project being part of PM's GATI SHAKTI.

2 The proposal be forwarded to GoUP, Industries department, for additional sanction / allotment on Priority.

एजेण्डा बिन्दु–10:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम रसूलपुर आशिकअली तहसील मोहनलालगंज 0.1244 हे0 जनपद लखनऊ के संरेखण से अतिरिक्त भूमि के अनुमोदन के सम्बन्ध में:–**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम रसूलपुर आशिकअली तहसील मोहनलालगंज 0.1244 हे0 जनपद लखनऊ के संरेखण से अतिरिक्त भूमि के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के चित्रकूट नोड के अन्तर्गत जनपद–चित्रकूट में प्राप्त भूमि की संशोधित दर के अनुमोदन के सम्बन्ध में:–**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के चित्रकूट नोड के अन्तर्गत जनपद–चित्रकूट में प्राप्त भूमि की संशोधित दर के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लखनऊ नोड के अन्तर्गत जनपद–लखनऊ में प्राप्त भूमि की दर के अनुमोदन के सम्बन्ध में:–**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लखनऊ नोड के अन्तर्गत जनपद–लखनऊ में प्राप्त भूमि की दर के अनुमोदन के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–13:– ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे किनारे भूमि नियंत्रण अधिनियम 2021 को अधिनियमित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में:–

यूपीडा के वरिष्ठ प्रबन्धक वास्तुविद (नियोजक) द्वारा अगवत कराया गया कि वर्तमान समय में यूपीडा में 5 एक्सप्रेसवेज गतिमान है। किन्तु इन एक्सप्रेसवेज के किनारे स्थित निजी भूमियों पर निर्माण को Regulate करने के लिये कोई नियम प्रचलन में नहीं है। इस कारण एक्सप्रेसवे से लगी हुई भूमि पर निर्माण को Regulate किया जाना संभव नही हो पा रहा है। जबकि इस विषय में NHAI, PWD तथा सिंचाई विभाग के Raod Side Control Act मौजूद है। जिस कारण इन विभागों की भूमि से लगी भूमियों पर निर्माण से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त के दृष्टिगत The control of national Highways (Land and Traffic)Act तथा 2002 Uttar Pradesh Road side Land Control Act,1945 का अध्ययन किया गया। जिसके आधार पर राजमार्ग को संचालित किया जा रहा है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुये The control of national Highways (Land and Traffic)Act 2002 तथा Uttar Pradesh Road side Land Control Act,1945 के आधार पर यूपीडा का भी एक "ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे किनारे भूमि नियंत्रण अधिनियम 2021" होना चाहिए। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यूपीडा के अधिनियम को अधिनियमित करने हेतु उ0प्र0 शासन के न्याय विभाग/विधायी विभाग से सम्बन्धित अधिकारी से विशेषज्ञ के रूप में परामर्श लिया जा सकता है। जिससे भविष्य में उत्पन्न होने वाली अतिक्रमण आदि समस्याओं को दूर करते हुये सुगम यातायात सुचारू रूप से चल सके।

अतः उपरोक्त एजेन्डा बिन्दु को औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है अनुमोदन के पश्चात "ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे किनारे भूमि नियंत्रण अधिनियम 2021" को प्रख्यापन से पूर्व अगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे किनारे भूमि नियंत्रण अधिनियम 2021 को अधिनियमित करने हेतु प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–14:– **Approval for Building Plan Approval Procedure - Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor**

यूपीडा में Defence Corridor में और अन्य Expressways के साथ में बनने वाले Industrial Corridor के नक्शो को पास करने के लिए Byelaws 69 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है एवं वर्तमान में Building Plan Approval Procedure का अनुमोदन प्रस्तावित है। जिसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही ऑफलाइन प्रकिया द्वारा की जाएगी। ऑफलाइन प्रकिया को दो चरणों में की जानी है।

प्रथम चरण - बाहरी प्रकिया को निर्धारित करता है। आवेदक द्वारा आवेदन जमा करना, शुल्क का भुगतान और आवेदक के कर्तव्यों का भुगतान।

द्वितीय चरण - प्रत्येक अधिकारी के लिए जिम्मेदारियों और समय–सीमा के साथ–साथ नियोजन प्रकोष्ठ की संरचना, आवेदन प्रकिया के चरणों के साथ–साथ आंतरिक प्रकिया को निर्धारित करता है।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि भविष्य में आनलाईन प्रकिया के माध्यम से मानचित्र पास किये जायेंगे। यह ऑफलाइन प्रकिया, आनलाईन प्रकिया प्रारम्भ होने तक प्रभावी होगी।

कार्यवाही/निर्णय उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा "Building Plan Approval Procedure - Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor" को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–15:– **डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अलीगढ़ नोड के तृतीय चरण के अन्तर्गत जनपद–अलीगढ़ में प्राप्त भूमि की दर के अनुमोदन के सम्बन्ध में:–**

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अलीगढ़ नोड के तृतीय चरण के अन्तर्गत जनपद–अलीगढ़ में प्राप्त भूमि की दर के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–16:– **मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 16.12.2021 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरणः–**

यूपीडा के विधि सलाहकार द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित कुल वादों की संख्या–348 में से निस्तारित वादों की संख्या–224 तथा लम्बित वादों की संख्या–124 है एवं 05 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित वादों की संख्या–247 में से निस्तारित वादों की संख्या 177 तथा लम्बित वादों की संख्या 70 है एवं 04 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है।

कार्यवाही / निर्णय अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा विधि सलाहकार को निर्देशित किया गया कि दिनांक 15 जनवरी, 2022 तक माननीय न्यायालय में सभी प्रकरणों में प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा बिन्दु–17:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के पैकेज–2 के अन्तर्गत जनपद– आजमगढ़ में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में:–**

'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' का संरेखण प्रदेश के 04 जनपदों यथा गोरखपुर, सन्तकबीर नगर, अम्बेडकर नगर एवं आजमगढ़ से होकर जा रहा है।

उक्त परियोजना हेतु संरेखण के अर्न्तगत भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू–स्वामियों से आपसी सहमति एव अधिग्रहण के माध्यम से कार्यवाही कराई गयी। एक्सप्रेसवे के पैकेज–2 का निर्माण दिलीप बिल्डकान इन्फ्रा लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जनपद आजमगढ़ तहसील बूढ़नपुर के 24 ग्रामों में अतिरिक्त भूमि एवं संशोधन प्रस्ताव विषेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आजमगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या–99 / आठ– वि0भू0अ0अ0 / यूपीडा / आजमगढ़ दिनांक– 18.09.2021 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें 21 ग्रामों में संषोधित प्रस्ताव मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा दिनांक– 24.11.2021 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जिनके विवरण एजेण्डा नोट में प्रस्तुत्त किये गये है।

कार्यवाही / निर्णय उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–18:– अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदनः–

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जानाः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना हैः–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव	फारेस्टर	21.09.2021	03 माह	21.12.2021	सं0–6172/यूपीडा/1854/20/अधि0 दिनांक 18.10.2021
2.	श्री के0एन0निगम	लेखाकार कम कैशियर	24.10.2021	06 माह	24.04.2022	सं0–6214/यूपीडा/1083/18/अधि0 दिनांक 22.10.2021
3.	श्री देवेन्द्र नाथ पाण्डेय	सहायक राजस्व अधिकारी	14.10.2021	06 माह	14.04.2022	सं0–6248/यूपीडा/1193/18/अधि0 दिनांक 25.10.2021
4.	श्री निर्मल राम नागर	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)	11.10.2021	06 माह	11.04.2022	सं0–6528/यूपीडा/828/18/अधि0 दिनांक 01.11.2021
5.	श्री अवधेश कुमार	सहायक प्रबन्धक (आडिट)	04.11.2021	06 माह	04.05.2022	सं0–6522/यूपीडा/1613/19/अधि0 दिनांक 01.11.2021
6.	श्री सोबरन सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	28.10.2021	06 माह	28.04.2022	सं0–6225/यूपीडा/1874/20/अधि0 दिनांक 01.11.2021
7.	श्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06.11.2021	06 माह	06.05.2022	सं0–6548/यूपीडा/1945/20/अधि0 दिनांक 02.11.2021
8.	श्री राम खेलावन वर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	25.10.2021	03 माह	25.01.2022	सं0–6547/यूपीडा/1412/19/अधि0 दिनांक 02.11.2021
9.	श्री किशोर कुमार पाण्डेय	सलाहकार (प्रक्योरमेन्ट सेल)	30.10.2021	04 माह	28.02.2022	सं0–6545/यूपीडा/180/12/अधि0 दिनांक 02.11.2021
10.	श्री मनोहर सिंह यादव	सुरक्षा अधिकारी	30.10.2021	06 माह	30.04.2022	सं0–6546/यूपीडा/1086/18/अधि0 दिनांक 02.11.2021
11.	श्री राम किंकर त्रिपाठी	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2021	06 माह	19.05.2022	सं0–6671/यूपीडा/1544/19/अधि0 दिनांक 08.11.2021
12.	श्री ओंकार नाथ वर्मा	विशेष राजस्व अधिकारी	31.10.2021	06 माह	30.04.2022	सं0–6663/यूपीडा/1094/18/अधि0 दिनांक 08.11.2021
13.	श्री शिवा नन्द सिंह	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2021	06 माह	19.05.2022	सं0–6758/यूपीडा/1543/19/अधि0 दिनांक 09.11.2021
14.	श्री निर्मल दास यादव	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2021	06 माह	19.05.2022	सं0–6759/यूपीडा/1553/19/अधि0 दिनांक 09.11.2021
15.	श्री जय प्रकाश सिंह	सलाहकार (भू–अर्जन)	11.11.2021	06 माह	11.05.2022	सं0–6805/यूपीडा/705/17/अधि0 दिनांक 10.11.2021
16.	श्री अरविन्द कुमार राजपूत	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2021	06 माह	19.05.2022	सं0–6977/यूपीडा/1550/19/अधि0 दिनांक 15.11.2021
17.	श्री सर्वेश कुमार कटियार	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2021	06 माह	19.05.2022	सं0–6980/यूपीडा/1540/19/अधि0 दिनांक 15.11.2021
18.	श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2021	06 माह	19.05.2022	सं0–6965/यूपीडा/1537/19/अधि0 दिनांक 15.11.2021
19.	श्री राम चन्द्र	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2021	06 माह	19.05.2022	सं0–6973/यूपीडा/1554/19/अधि0 दिनांक 15.11.2021
20.	श्री हशमतुल्ला सिद्दीकी	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2021	06 माह	19.05.2022	सं0–6975/यूपीडा/1555/19/अधि0 दिनांक 15.11.2021
21.	श्री राजेश मोहन गुप्ता	महाप्रबन्धक (सिविल)	19.11.2021	06 माह	19.05.2022	सं0–6979/यूपीडा/1539/19/अधि0 दिनांक 15.11.2021
22.	श्री शमीम अख्तर सिद्दीकी	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2021	06 माह	19.05.2022	सं0–6976/यूपीडा/1552/19/अधि0 दिनांक 15.11.2021

23.	कर्नल संजय सिंह	मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर)	31.11.2021	06 माह	31.05.2022	सं0–6970 / यूपीडा / 2045 / 21 / अधि0 दिनांक 15.11.2021
24.	श्री राम चन्द्र मौर्य	लिपिक	14.11.2021	06 माह	14.05.2022	सं0–7096 / यूपीडा / 351 / 14 / अधि0 दिनांक 24.11.2021
25.	श्री के0के0अस्थाना	वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद नियोजक)	24.11.2021	06 माह	24.05.2022	सं0–7092 / यूपीडा / 1890 / 20 / अधि0 दिनांक 24.11.2021
26.	श्री अरूण कुमार पाठक	मुख्य महाप्रबन्धक (विद्युत)	30.11.2021	06 माह	30.05.2022	सं0–7146 / यूपीडा / 2046 / 21 / अधि0 दिनांक 25.11.2021
27.	श्री विनीत प्रकाश ओझा	सहायक (विधि)	13.11.2021	06 माह	13.05.2022	सं0–7152 / यूपीडा / 347 / 14 / अधि0 दिनांक 25.11.2021
28.	श्री चुनकू राम पटेल	विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन)	03.12.2021	06 माह	03.06.2022	सं0–7151 / यूपीडा / 1129 / 18 / अधि0 दिनांक 25.11.2021
29.	श्री भोला नाथ यादव	डाक रनर	28.11.2021	06 माह	28.05.2022	सं0–7147 / यूपीडा / 467 / 15 / अधि0 दिनांक 25.11.2021
30.	श्री आर0आर0सिंह	मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	05.10.2021	एक वर्ष	05.10.2022	सं0–7313 / यूपीडा / 2043 / 21 / अधि0 दिनांक 30.11.2021
31.	सुश्री रिचा मिश्रा	विधि सलाहकार	09.12.2021	06 माह	09.06.2022	सं0–7314 / यूपीडा / 1949 / 20 / अधि0 दिनांक 30.11.2021
32.	श्री उमेश प्रकाश श्रीवास्तव	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2021	06 माह	19.05.2022	सं0–7344 / यूपीडा / 1538 / 19 / अधि0 दिनांक 02.12.2021
33.	श्री भगवानदीन वर्मा	भू–अर्जन / सहायक भू–अर्जन अधिकारी	30.09.2021	06 माह	30.03.2022	सं0–7345 / यूपीडा / 1958 / 20 / अधि0 दिनांक 02.12.2021
34.	श्री अली शेर खाँ	सहायक सुरक्षा अधिकारी	25.11.2021	06 माह	25.05.2022	सं0–7371 / यूपीडा / 1889 / 20 / अधि0 दिनांक 02.12.2021
35.	श्री प्रशान्त मिश्रा	मीडिया सहायक एवं जन सम्पर्क अधिकारी	06.01.2022	एक वर्ष	06.01.2023	सं0–7452 / यूपीडा / 1775 / 20 / अधि0 दिनांक 06.12.2021
36.	श्री भागीरथ शुक्ला	वरिष्ठ सहायक (डिस्पैच)	18.12.2021	06 माह	18.06.2022	सं0–7454 / यूपीडा / 1469 / 19 / अधि0 दिनांक 06.12.2021
37.	श्री राम सुधार यादव	वरिष्ठ सहायक	22.12.2021	06 माह	22.06.2022	सं0–7458 / यूपीडा / 243 / 14 / अधि0 दिनांक 06.12.2021
38.	श्री राममूर्ति	निजी सचिव	02.12.2021	03 माह	02.03.2022	सं0–7446 / यूपीडा / 1109 / 18 / अधि0 दिनांक 06.12.2021
39.	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06.12.2021	06 माह	06.06.2022	सं0–7456 / यूपीडा / 1315 / 19 / अधि0 दिनांक 06.12.2021
40.	श्री बृजभूषण पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक (अधिष्ठान)	18.12.2021	06 माह	18.06.2022	सं0–7451 / यूपीडा / 1471 / 19 / अधि0 दिनांक 06.12.2021
41.	श्री कमल कुमार	सलाहकार (वित्तीय संस्थाएँ)	01.12.2021	06 माह	01.06.2022	सं0–7488 / यूपीडा / 1893 / 20 / अधि0 दिनांक 07.12.2021
42.	श्री अरूण कुमार	सलाहकार (वित्तीय संस्थाएँ)	01.12.2021	06 माह	01.06.2022	सं0–7489 / यूपीडा / 1892 / 20 / अधि0 दिनांक 07.12.2021
43.	श्री हिरामन राम	लेखाकार कम कैशियर	18.12.2021	03 माह	18.03.2022	सं0–7644 / यूपीडा / 1081 / 18 / अधि0 दिनांक 13.12.2021
44.	श्री सियाराम मौर्य	वरिष्ठ भू–अर्जन अधिकारी	30.12.2021	06 माह	30.06.2022	सं0–7640 / यूपीडा / 1961 / 20 / अधि0 दिनांक 13.12.2021
45.	श्री चन्द्र कुमार सांगवानी	सहायक प्रबन्धक (आडिट)	23.12.2021	06 माह	23.06.2022	सं0–7639 / यूपीडा / 1582 / 19 / अधि0 दिनांक 13.12.2021
46.	श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	30.12.2021	06 माह	30.06.2022	सं0–7643 / यूपीडा / 247 / 14 / अधि0 दिनांक 15.12.2021
47.	श्री प्रभात कुमार अवस्थी	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	30.12.2021	06 माह	30.06.2022	सं0–7672 / यूपीडा / 1333 / 19 / अधि0 दिनांक 15.12.2021
48.	श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया	फारेस्टर	08.12.2021	06 माह	08.06.2022	सं0–7674 / यूपीडा / 1894 / 20 / अधि0 दिनांक 15.12.2021
49.	श्री अंकित भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	25.12.2021	06 माह	25.06.2022	सं0–7794 / यूपीडा / 747 / 17 / अधि0 दिनांक 20.12.2021

2. यूपीडा के पत्रों द्वारा औद्योगिक विकास विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में संविदा पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति का अनुमोदन 70 वीं बोर्ड की बैठक 27.12.2021 में प्राप्त किया गया:–

यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्ति के यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर यूपीडा मुख्यालय के कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु नियुक्ति की गयी है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 27.12.2021 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या / तिथि
1.	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	नोडल अधिकारी, पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे	06 माह नियुक्ति	22.10.2021 पूर्वान्ह्	सं0–6234 / यूपीडा / 2216 / 21 / अधि0 दिनांक 22.10.2021
2.	श्री अजय कुमार कुलश्रेष्ठ	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	06 माह नियुक्ति	28.10.2021 पूर्वान्ह्	सं0–6384 / यूपीडा / 2143 / 21 / अधि0 दिनांक 27.10.2021
3.	श्री ओम प्रकाश	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	06 माह नियुक्ति	28.10.2021 पूर्वान्ह्	सं0–6384 / यूपीडा / 2143 / 21 / अधि0 दिनांक 27.10.2021
4.	श्री भरत यादव	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	06 माह नियुक्ति	29.10.2021	सं0–6384 / यूपीडा / 2143 / 21 / अधि0 दिनांक 27.10.2021
5.	श्री पूर्णेन्दु वाजपेयी	कनिष्ठ अधिवक्ता	06 माह नियुक्ति	06.12.2021	सं0–7468 / यूपीडा / 2269 / 21 / अधि0 दिनांक 06.12.2021

3. यूपीडा में कार्यरत अधिकारी का नाम जिनकी सेवा समाप्त की गयी है, जिसका अनुमोदन 70 वीं बोर्ड मण्डल की बैठक दिनांक 27.12.2021 में प्राप्त किया जाना है, विवरण निम्नवत् हैः–

यूपीडा में तैनात (संविदा) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं की यूपीडा में आवश्यकता आकलन एवं आवश्यकता न पाये जाने पर निम्नलिखित अधिकारियों की संविदा सेवायें उक्त तिथि से त्यागपत्र / सेवा समाप्त की गयी है। जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक दिनांक 27.12.2021 में किया जाना है।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति अवधि	सेवा समाप्ति की तिथि	सेवा समाप्ति आदेश संख्या
1.	श्री विजय कुमार चतुर्वेदी	निजी सचिव	एक वर्ष	09.12.2021 को त्यागपत्र	सं0–7537 / यूपीडा / 568 / 16 / अधि0 दिनांक 09.12.2021
2.	श्री रियाज अहमद	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	05.11.2021	सं0–6964 / यूपीडा / 2203 / 21 / अधि0 दिनांक 15.11.2021

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> अधिष्ठान के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये एजेण्डा बिन्दु–18 के उप बिन्दु–01 02 व 03 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–19:–</u> <u>गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना' के चार ग्रुपों को पीपीपी के अर्न्तगत डी0बी0एफ0ओ0टी0 (टोल) के आधार पर विकसित किये जाने हेतु विकासकर्ताओं के चयन के सम्बन्ध में:–</u>

यूपीडा निदेशक मण्डल को निम्नवत् अवगत कराया गयाः–

1– औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 1751 / 77–3–21–53एम / 21 दिनांक 03.09.2021 द्वारा 'मेरठ से प्रयागराज तक 06 लेन (एक्सपेन्डेबल टू 08 लेन) ग्रीन फील्ड गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना' के चार ग्रुपों को पीपीपी के अर्न्तगत डी0बी0एफ0ओ0टी0 (टोल) के आधार पर विकसित किये जाने हेतु विकासकर्ताओं के चयन के लिये अन्तिमीकृत 'आर0एफ0क्यू0–कम– आर0एफ0पी0' बिड अभिलेख पर अनुमोदन प्रदान किया गया था।

2– उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में अनुमोदित 'आर0एफ0क्यू0–कम– आर0एफ0पी0' बिड अभिलेख के अनुसार परियोजना के निम्नलिखित चार ग्रुपों हेतु पृथक–पृथक 'आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0' बिड अभिलेख तैयार कर दिनांक 06.09.2021 को ई–टेण्डर पोर्टल के माध्यम से विभिन्न ग्रुपों हेतु पृथक–पृथक ऑनलाइन निविदायें आमन्त्रित की गयीं थीः–

ग्रुप	ग्रुप का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)
ग्रुप–I	ग्राम– बिजौली (जिला– मेरठ) से ग्राम– नग्ला बरहा (जिला– बदायूँ) (कि0मी0 7+900 से कि0मी0 137+600)	129.700

ग्रुप–II	ग्राम– नग्ला बरहा (जिला– बदायूँ) से ग्राम– उबरईया खुर्द (जिला– हरदोई) (कि0मी0 137+600 से 289+300 कि0मी0)	151.700
ग्रुप–III	ग्राम– उबरईया खुर्द (जिला– हरदोई) से ग्राम– सरसो (जिला– उन्नाव) (कि0मी0 289+300 से 445+000 कि0मी0)	155.700
ग्रुप–IV	ग्राम– सरसो (जिला– उन्नाव) से ग्राम– जूदापुर डांडो (जिला– प्रयागराज़) (कि0मी0 445+000 से 601+847 कि0मी0)	156.847

3– परियोजना के चार ग्रुपों हेतु पृथक–पृथक जारी किये गये बिड अभिलेखों के क्रम में निर्धारित तिथि दिनांक 20.11.2021 को परियोजना के चारों ग्रुपों हेतु तीन–तीन ऑनलाइन निविदाएं प्राप्त हुयी थीं, जिन्हें 'पी.पी.पी. निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 23.11.2021 में खोला गया था। परियोजना के चारों ग्रुपों हेतु पृथक–पृथक निम्नलिखित निविदाकर्ताओं की निविदायें प्राप्त हुयी थीं:–

(अ) मेसर्स आई.आर.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि0।

(ब) मेसर्स अशोका बिल्डकॉन लि0।

(स) मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0।

4– प्राप्त निविदाओं के तकनीकी प्रस्तावों के 'परियोजना विकास परामर्शी' एवं एस.बी.आई. कैपिटल मार्केटस् लि0 द्वारा किये गये मूल्यांकन पर विचार विमर्शोपरान्त 'पी.पी.पी. निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 30.11.2021 में सभी निविदाओं को तकनीकी रूप से अर्ह पाते हुए उनकी ऑनलाइन वित्तीय निविदाएं खोली गयी थीं तथा समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया था कि सभी निविदादाताओं द्वारा ग्राण्ट हेतु वित्तीय निविदाएं प्रस्तुत की गयी हैं एवं किसी भी निविदादाता द्वारा प्रीमियम हेतु वित्तीय निविदा प्रस्तुत नहीं की गयी है। निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय निविदाओं का विवरण निम्नवत् है:–

(ग्राण्ट राशि करोड़ रू0 में)

क्रम सं0	निविदादाता का नाम	ग्रुप–I	ग्रुप–II	ग्रुप–III	ग्रुप–IV
1.	मे0 आई.आर.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि0	1782.00	2061.00	2250.00	2160.00
2.	मेसर्स अशोका बिल्डकॉन लि0	1960.00	2185.00	2301.00	2211.00
3.	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	1865.00	1950.00	2197.00	2099.00

5– निविदादाताओं से उपरोक्तानुसार प्राप्त वित्तीय निविदाओं के अनुसार निम्न निविदादाताओं द्वारा एच–1 (न्यूनतम ग्राण्ट) निविदाएं प्रस्तुत की गयीं थीं:–

क्रम सं0	ग्रुप सं0	एच–1 (न्यूनतम ग्राण्ट) प्रस्तुत करने वाले निविदादाता का नाम	न्यूनतम ग्राण्ट की राषि (रू0 करोड़ में)
1.	ग्रुप–I	मे0 आई.आर.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि0	1782.00
2.	ग्रुप–II	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	1950.00
3.	ग्रुप–III	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	2197.00
4.	ग्रुप–IV	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	2099.00

6– उपरोक्तानुसार एच–1 (न्यूनतम ग्राण्ट) वित्तीय निविदाओं का मूल्याँकन, परियोजना विकास परामर्शी एवं एस.बी.आई. कैप्स द्वारा किया गया था एवं उनके द्वारा प्रस्तुत मूल्याँकन रिपोर्ट पर 'पी.पी.पी. निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 06.12.2021 में विचार विमर्शोपरान्त समिति द्वारा यह मत स्थिर किया गया था कि सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर विभिन्न ग्रुपों हेतु उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदादाताओं से ग्राण्ट की राशि को कम करते हुये संशोधित वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त कर लिये जायें, जिससे प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय भार को कम किया जाना सुनिश्चित किया जा सके एवं परियोजना हेतु समय से विकासकर्ताओं को चयनित किया जा सके।

7– 'पी.पी.पी. निविदा मूल्यांकन समिति' की उपरोक्त संस्तुति के क्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उच्चतम निविदा (न्यूनतम ग्राण्ट) प्रस्तुत करने वाले निविदादाता मे0 आई.आर.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि0 (**ग्रुप–I**) तथा मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0 (**ग्रुप–II, ग्रुप–III एवं ग्रुप–IV**) से उनकी पुनरीक्षित वित्तीय निविदाएं माँगी गयीं थीं, जिसके क्रम में उनके द्वारा अपनी–अपनी पुनरीक्षित वित्तीय निविदाएं सील बन्द लिफाफों में दिनांक 09.12.2021 को प्रस्तुत की

गयीं जिन्हें 'पी.पी.पी. निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 10.12.2021 में समिति के समक्ष खोला गया था। परियोजना के विभिन्न ग्रुपों हेतु उच्चतम निविदा (न्यूनतम ग्राण्ट) प्रस्तुत करने वाले निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित वित्तीय निविदाओं का विवरण निम्नवत है:–

क्रम सं0	ग्रुप सं0	एच–1 (न्यूनतम ग्राण्ट) प्रस्तुत करने वाले निविदादाता का नाम	मूल वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार ग्राण्ट की राषि (रू0 करोड़ में) (अ)	पुनरीक्षित वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार ग्राण्ट की राषि (रू0 करोड़ में) (ब)	मूल एवं पुनरीक्षित प्रस्ताव में अन्तर (रू0 करोड़ में) (अ–ब)
1.	ग्रुप–I	मे0 आई.आर.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि0	1782.00	1746.00	36.00
2.	ग्रुप– II	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	1950.00	1720.00	230.00
3.	ग्रुप–III	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	2197.00	2177.00	20.00
4.	ग्रुप–IV	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	2099.00	2099.00	0.00
		कुल	**8028.00**	**7742.00**	**286.00**

8– मेसर्स एस.बी.आई. कैप्स द्वारा उपरोक्तानुसार उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदादाताओं से प्राप्त पुनरीक्षित वित्तीय प्रस्ताव (ग्राण्ट की राशि) का मूल्याँकन कर अपनी रिपोर्ट 'पी.पी.पी. निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 11.12.2021 में समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। मेसर्स एस.बी. आई. कैप्स द्वारा समिति को उनके द्वारा पूर्व में किये गये ग्राण्ट हेतु मूल्यांकन तथा उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदादाताओं द्वारा मांगी गयी ग्राण्ट का तुलनात्मक विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया गया था:–

(Rs. Crore)

Group	Project Cost	Grant as per the Base Case scenario (12 Oct 2021)	Grant (A)	Grant %	Equity IRR	Grant as per Original Bid of Highest Bidder (B)	B-A	Grant as per Revised Bid of Highest Bidder (C)	C-A
Group I	6,045.03	2060.28	2,418.01	40.00%	13.67%	1,782.00	(636.01)	1,746.00	(672.01)
Group II	6,802.93	1415.60	2,391.23	35.15%	15.00%	1,950.00	(441.23)	1,720.00	(671.23)
Group III	6,991.22	1592.11	2,555.29	36.55%	15.00%	2,197.00	(358.29)	2,177.00	(378.29)
Group IV	6,748.64	2699.45	2,699.45	40.00%	11.08%	2,099.00	(600.45)	2,099.00	(600.45)
Total		7767.44	10,063.98			8,028.00	(2,035.98)	7,742.00	(2,321.98)

9– 'पी.पी.पी. निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 11.12.2021 में समिति द्वारा मेसर्स एस0बी0आई कैप्स द्वारा प्रस्तुत की गयी मूल्यांकन रिपोर्ट पर विस्तृत विचार विमर्श कर निम्नवत् संस्तुति प्रदान की गयी थी:–

"PPPBEC noted that the overall revised Grant quoted by the Highest Bidder(s) for all the Group(s) i.e. Rs 7742 Crore is lower by Rs 25.44 Crore as compared to Grant estimates for all the Group(s) estimated by SBICAPS Advisory Report dated 12 October 2021, and hence within the overall limit of the total estimated Grant of i.e. Rs 7767 Crore. Further, PPPBEC also observed that the Group wise Financial Bid(s) for each of the Highest Bidder(s) is within the range of estimates basis the suggested assumption of growth rate of 5% per annum in traffic as per the MoRTH Circular dated June 16, 2014 as per scenario analysis of SBICAPS Advisory Report dated 12 October 2021. Accordingly, the PPPBEC was of the unanimous view that the revised Financial Bids of the Highest Bidders of the four Groups be recommended for consideration of the Committee of Secretaries headed by the Chief Secretary, GoUP."

10– 'पी.पी.पी. निविदा मूल्यांकन समिति' की उपरोक्त संस्तुति के क्रम में 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 12.12.2021 में 'पी.पी.पी. निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा की गयी संस्तुति एवं मेसर्स एस0बी0आई कैप्स द्वारा किये गये मूल्याँकन पर विस्तृत विचार विमर्शोंपरान्त निम्नवत् संस्तुति प्रदान की गयी थीः–

"The Committee also deliberated on the following key aspects of the Project, that further substantiate the requirement of timely implementation of the Project,

- *Given the nature and size of the Expressway, it is necessary to synchronize the development of all the Groups to ensure timely development and viability of the Group(s), which shall facilitate economic development of the State and be a huge boost for the industrial and commercial activity in the State.*
- *Presently, the Project Cost estimates are based on DPR dated September 2020. In recent times, with the uptrend in the commodity cycle, the prices of commodities like bitumin, steel, cement have shown an upward trend. While quoting the Grant the Bidder(s) may have factored this uptrend in commodity prices. Any delay in Project implementation would lead to an additional cost incidence for all the Groups on UPEIDA/GoUP.*
- *Recent projects being financed by banks/institutions in the highway sector are of Hybrid Annuity Mode (HAM), since such kind of projects carry lower risk for the banks/institutions, and they provide for assured return for the developers. BOT (Toll) developers are experiencing delay in financial closure, more so during the prevailing COVID-19 pandemic.*
- *Significant progress has already been made towards the land acquisition (~93% of land required has been acquired) and obtention of applicable environmental clearances for the Group(s) and re-tendering/ alternatively opting for EPC mode of implementation may result in significant delays/ requirement of higher budgetary allocation by the GoUP towards implementing the proposed Expressway.*
- *Further the Committee recommended that the State Government should seek maximum applicable Viability Gap Funding (VGF) for the important Ganga Expressway project as per the extant "Scheme and Guidelines for Financial Support to Public Private Partnerships in Infrastructure (Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, GoI)".*

On the basis of above, Committee was of the view that since the bids have been received for all the four Groups, it would be advisable to proceed with development of the entire Expressway on BOT-Toll basis.

Accordingly, the Committee was of the unanimous view that the revised Financial Bids of the Highest Bidders of the four Groups be recommended for consideration of the Hon'ble Cabinet of the Government of Uttar Pradesh for approval."

11– 'सचिव समिति' की उक्त बैठक दिनांक 11.12.2021 में प्रदान की गयी संस्तुति के क्रम में 'मेरठ से प्रयागराज तक 06 लेन (एक्सपेन्डेबल टू 08 लेन) ग्रीन फील्ड गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना' के चार ग्रुपों को पीपीपी के अर्न्तगत डी0बी0एफ0ओ0टी0 (टोल) के आधार पर विकसित किये जाने हेतु न्यूनतम ग्राण्ट प्रस्तुत करने वाले निम्नलिखित निविदादाताओं को चयनित किये जाने एवं चयनित निविदातओं को निम्नवत् ग्रुप–वार ग्राण्ट हेतु माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन निवेदित किया गया था।

क्रम सं0	ग्रुप सं0	एच–1 (न्यूनतम ग्राण्ट) प्रस्तुत करने वाले निविदादाता का नाम	न्यूनतम ग्राण्ट की राषि (रू0 करोड़ में)
1.	ग्रुप–I	मे0 आई.आर.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि0	1746.00
2.	ग्रुप– II	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	1720.00
3.	ग्रुप– III	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	2177.00
4.	ग्रुप– IV	मेसर्स अडानी इण्टरप्राइजेज लि0	2099.00
		कुल ग्राण्ट की राशि	**7742.00**

12– उपरोक्त के क्रम में औद्योगिक विकास विभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश सं0 2648/77–3–21–19 (एम)/21 दिनांक 16.12.2021 द्वारा परियोजना के चार ग्रुपों हेतु उपरोक्त एच–1 (न्यूनतम ग्राण्ट) वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदादाताओं को चयनित किये जाने एवं उपरोक्तानुसार प्रदान की जाने वाली ग्रुप वार ग्राण्ट पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उक्त शासनादेश दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्राधिकरण को यह भी सूचित किया गया है कि वी0जी0एफ0 ग्राण्ट के लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022–23 में नयी मांग के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है एवं पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण में से वी0जी0एफ0 ग्राण्ट के लिये कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

उपर्लिखित शासनादेश दिनांक 16.12.2021 के क्रम में परियोजना के चारों ग्रुपों हेतु चयनित निविदाकर्ताओं को दिनांक 16.12.2021 को 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी कर दिये गये हैं।

कार्यवाही / निर्णयः– उपरोक्तानुसार मेरठ से प्रयागराज तक 06 लेन (एक्सपेन्डेबल टू 08 लेन) ग्रीन फील्ड गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना' के चार ग्रुपों को पीपीपी के अन्तर्गत डी0बी0एफ0ओ0टी0 (टोल) के आधार पर विकसित किये जाने हेतु विकासकर्ताओं के चयन के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही से अवगत होते हुये समस्त कृत कार्यवाही पर यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार चयनित निविदाकर्ताओं के साथ निविदा के प्रावधानों के अनुसार कन्सेशन अनुबन्ध निष्पादित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–20:– पूर्वाचंल एक्सप्रेसवे परियोजना में चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत निर्माणाधीन प्रसाधन ब्लाक की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में:–

मुख्य महाप्रबन्धक (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) द्वारा यूपीडा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत करया गया कि माननीय निदेशक मण्डल की 64वीं बैठक में दिनांक 12.03.2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना पर प्रसाधन ब्लाक को चेंज ऑफ स्कोप द्वारा निर्माण कराये जाने का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। वर्तमान में निर्माणकर्ता पैकेज संख्या–01 से 08 के द्वारा उनके सम्बन्धित पैकेज में प्रसाधन ब्लाक का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी अद्यतन प्रगति निम्नवत् है:–

TOILET BLOCK

Package	Location Chainage	Side	Physical Progress
I	25+400	RHS	Final Finishing Work is in Progress. **Soil filling for External site development started.**
II	60+600	LHS	Final Finishing Work is in Progress.
III	109+900	RHS	Final Finishing Work is in Progress.
IV	138+850	LHS	Final Finishing Work is in Progress.
V	197+600	RHS	Final Finishing Work is in Progress.
VI	229+100	LHS	Final Finishing Work is in Progress.
VII	268+600	RHS	Foundation work in progress.
VIII	315+900	LHS	Final Finishing Work is in Progress.

कार्यवाही / निर्णय उपरोक्त प्रस्ताव में कार्य की प्रगति से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–21:– पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज संख्या–02 एवं पैकेज–05 अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र (Provisional Completion Certificate) जारी किये जाने की सूचनाः–

कार्यवाही / निर्णय मुख्य महाप्रबन्धक (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज संख्या–02 से पैकेज–07 अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र (Provisional Completion Certificate) जारी किये जाने की सूचना से निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया एवं प्रस्तुत एजेण्डा नोट में पैकेजवार विवरण भी अवलोकित कराया गया। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि अथॉरिटी इंजीनियर– I एवं II द्वारा कार्यो की पंचलिस्ट Part-A एवं Part-B संलग्न करते हुए अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र (Provisional Completion Certificate) निर्गत करने की संस्तुति एवं अनुरोध किया गया है। उपरोक्त कार्यो का सत्यापन PMC (RITES) द्वारा कराने के उपरान्त अथॉरिटी द्वारा पैकेज–02, 04, 05, 06 एवं 07 के निर्माणकर्ताओ को Provisional Completion Certificate निर्गत करने हेतु

अथॉरिटी इंजीनियर –01 एवं 02 को क्रमशः पत्रांक 7079/UPEIDA/18/649-X/Tech dated 24.11.2021, पत्रांक 7424/UPEIDA/18/651-IX/Tech dated 03.12.2021, पत्रांक 6351/UPEIDA/18/652-V/Tech dated 26.10.2021, पत्रांक 7585/UPEIDA/18/653-IV/Tech dated 10.12.2021 एवं पत्रांक 7875/UPEIDA/18/654-X/Tech dated 23.12.2021 द्वारा निम्नवत् Provisional Completion दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

Package No.	Provisional Certificate Issuing Date
II	08.11.2021
IV	08.11.2021
V	26.10.2021
VI	30.11.2021
VII	15.12.2021

यह भी संज्ञान में लाना है कि अनुबन्ध के क्लॉज–19.20 में निर्माणकर्ताओं को निर्धारित कम्प्लीशन तिथि से पूर्व कम्प्लीशन करने की स्थिति में अनुबन्धित धनराशि का प्रतिदिन 0.04 प्रतिशत् की दर से अधिकतम 150 दिनों का बोनस प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार पैकेज संख्या–02, 04, 05, 06 व 07 के लिए **Provisional Completion Certificate** निर्गत किये जाने के आदेश एवं Part-B में सूचीबद्ध कार्यो को कराये जाने को संज्ञान में लेने तथा बोनस के भुगतान किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया है।

एजेण्डा बिन्दु–22:– **पूर्वाचंल एक्सप्रेसवे परियोजना अथॉरिटी इंजीनियर–1 एवं अथॉरिटी इजीनियर–2 को समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में:–**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा पूर्वाचंल एक्सप्रेसवे परियोजना अथॉरिटी इंजीनियर–1 एवं अथॉरिटी इजीनियर–2 को समयवृद्धि प्रदान किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–01 **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पैकेज–3 में संचालित सुरक्षा पैट्रोलिंग वाहन संख्या–UP-32/JX-1143 इंजन नं0–2GDA195398 दिनांक–26.10.2021 को दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा दिनांक–26.11.2021 को टोटल लॉस की श्रेणी के अन्तर्गत कर दिये जाने के कारण वाहन के डिस्पोजल के उपरान्त इन्श्योरेन्स कंपनी से प्राप्त लगभग रू0 9,71,980.00 में शेष धनराशि मिलाकर सुरक्षा/पैट्रोलिंग कार्य हेतु नया वाहन शीघ्र क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन।**

नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे) द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि यूपीडा की संचालित सुरक्षा पैट्रोलिंग वाहन संख्या **UP-32/JX-1143** इंजन नं0–**2GDA195398** गत माह अक्टूबर, 2021 में दिनांक 26.10.2021 को एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना के पश्चात् क्लेम से मरम्मत कराने हेतु मेसर्स सनी मोटर्स प्रा0 लि0, सनी टोयटा, फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ को भेजी गयी थी। उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन से संबंधित बीमा कम्पनी मेसर्स इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, लखनऊ के पत्र संख्या–IFFCO-TOKIO/CSC/Lucknow/2021-22 दिनांक–26.11.2021 के माध्यम से अवगत कराया कि **उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन की**

मरम्मत नहीं की जा सकती तथा उक्त अंकित वाहन को दिनांक–26.11.2021 को टोटल लॉस की श्रेणी के अन्तर्गत कर दिया गया है।

उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन से संबंधित बीमा कम्पनी मेसर्स इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, लखनऊ के पत्र संख्या–IFFCO-TOKIO/CSC/Lucknow/2021-22 दिनांक–26.11.2021 के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त इन्श्योर्ड वैल्यू **रू0 9,73,980.00 (रू0 नौ लाख तिहत्तर हजार नौ सौ अस्सी मात्र)** दर्शाया गया है। साथ ही मेसर्स इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स के द्वारा अपने पत्र दिनांक 26, नवम्बर, 2021 के माध्यम से निम्नवत् अवगत कराया है कि:–

1. **इन्श्योरेन्स कम्पनी से रू0 2,28,980.00**
2. **खरीददार द्वारा रू0 7,43,000.00**
3. **कुल रू0 9,71,980.00 यूपीडा को प्राप्त होगा।**
4. **शेष रू0 2,000.00 फाइल चार्ज हेतु कटौती की जायेगी।**

कार्यवाही / निर्णय

प्रस्ताव से अवगत होते हुये नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे) द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–02 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी 06 पैकेजो में ई0पी0सी0 ठेकेदारों को कार्य प्रारम्भ करने की तिथि (Appointed Date) दिनांक: 15.01.2020 दी गई थी। तद्क्रम में उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किये गये और वर्तमान में दिनांक: 23.12.2021 तक सभी पैकेजों की भौतिक व वित्तीय प्रगति निम्नवत् है–

क्रम सं0	पैकेज संख्या	ठेकेदारों के नाम	दिनांक 23.12.2021 तक भौतिक प्रगति(%)	दिनांक 23.12.2021 तक वित्तीय प्रगति(%)
1	I	एप्को इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	77.13%	58.50%
2	II	एप्को इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	75.44%	60.07%
3	III	अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड	80.00%	70.70%
4	IV	गावर कन्सट्रक्सन लिमिटेड	95.05%	88.71%
5	V	गावर कन्सट्रक्सन लिमिटेड	83.39%	78.29%
6	VI	दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड	75.30%	64.58%
		कुल प्रतिशत	81.28%	70.55%

कार्यवाही / निर्णय

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक (बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे) को दिनांक 30 जनवरी, 2022 तक मुख्य कैरेजवे के 01 साईड के कैरेजवे को प्रारम्भ करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही निर्देशित किया गया है, कि वे एवं मुख्य अभियन्ता न्यूनतम 04 बार प्रत्येक माह फील्ड विजिट पर अवश्य जाये, यदि चेंज ऑफ स्कोप एवं भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कोई प्रकरण हो तो तत्काल अवगत कराया जायें। उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये संस्तुति व्यक्त की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–03 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनसामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यों के लिए ई0पी0सी0 ठेकेदारों को उनके अनुबन्ध के क्लाज 13 के अन्तर्गत अनुमोदनोपरान्त अथॉरिटी इन्जीनियर द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत की गई है–

क्रम सं0	पैकेज संख्या	कार्य का नाम
1.	IV	1. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के चैनेज 174+644 पर निर्माणाधीन इण्टरचेन्ज के लूप–2 के चैनेज 4+085 से चैनेज 4+135 तक अतिरिक्त Additional Toe Wall के निर्माण का कार्य। AE, COS Notice letter no.- ICT:847:APM:7017 dated: 22/12/2021
2.	V	1. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के चैनेज 243+339 पर निर्माणाधीन इण्टरचेन्ज के Ramp–1 के Along चैनेज 0+000 से 0+300 (300 mtrs) तक एक्सप्रेसवे के ROW के अन्दर 3.75 मी0 चौड़े Bituminous Service Road के निर्माण का कार्य। AE, COS Notice letter no.- ICT:847:APM:5670 dated: 21/10/2021 2. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के Main Carriageway के दांयी तरफ चैनेज 233+400 से 234+050 (650 mtrs) एक्सप्रेसवे के ROW के अन्दर 3.75 मी0 चौड़ी Service Road के निर्माण का कार्य। AE, COS Notice letter no.- ICT:847:APM:6252 dated: 23/11/2021

कार्यवाही / निर्णय

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को निर्देशित किया गया कि दिनांक 15 जनवरी, 2022 तक एक्सप्रेसवे के भूमि क्रय से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जायें। उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संस्तुति प्रदान की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–04 Approval of UPEIDA Board to negate construction of fifth additional WSA at Ch: 121+594 to Ch: 121+866 (LHS) & from Ch: 121+620 to Ch: 121+993 (RHS) on Bundelkhand Expressway was recommended by M/s iDeCK, consultant.

मुख्य महाप्रबन्धक (बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे) द्वारा वे–साईड एमेनिटीज के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत करया गया कि:–

M/s iDeCK Ltd has been appointed for consultancy services for development of Wayside Amenities along the "Bundelkhand Expressway Project" by UPEIDA at following five locations:-

S. No.	Package	Side	Chainage of Wayside Amenity	Remark
1	II	RHS	70+500	As per scope of Contract Agreement
2	III	LHS	128+500	
3	IV	RHS	179+050	
4	V	LHS	224+325	
5	III	LHS	121+700	Added as fifth WSA
		RHS	121+800	

As per details in above table provision of four WSA at Ch: 70+500, 128+500, 179+050 & 224+325 was in the Contract Agreement of Bundelkhand Expressway.

To sort out the issue of Land Acquisition in Village- Jakhedi, Tehsil-Rath, in review meeting held on 29.11.2020 (**F/A**) at para Package-3 of minutes of meeting, it was directed that Chief Engineer, Bundelkhand Expressway project will submit additional land proposal for construction of Police Post and Wayside Amenities and DM, Hamirpur will carry out necessary Additional Land Acquisition in favour of project.

In this regard vide note dated 05.01.2021 **(F/B)** LA Cell was requested for acquisition of additional land apart from ROW for construction of WSA/Police Post as per directions given in review meeting held on 29.11.2020 on Bundelkhand Expressway.

In continuation of above, the permission for purchase of 12.196 Ha. additional land was accorded by UPEIDA Board in their 64th Board Meeting held on 12.03.2021 **(F/C)** vide Agenda point no. 9.

In this regard a note sheet was forwarded on date 28.05.2021 **(F/D)** by Procurement Cell, UPEIDA, the portion of which is reproduced below:

"The discussions held during the 'Consultancy Evaluation Committee' meeting held on 25.05.2021 for 'Pre-Proposal Conference' w.r.t. the RFQ-cum-RFP document, published on the e-tender portal for selection of a Consultant for Development of four Wayside Amenities along the "Bundelkhand Expressway Project". As informed by CE during the meeting that development of fifth WSA is also to be added to the scope of work of the consultant."

Accordingly Procurement Cell incorporated fifth WSA at Ch: 121+594 to Ch: 121+866 (LHS) & from Ch: 121+620 to Ch: 121+993 (RHS).

M/s iDeCK vide letter no. iDeCK/2021-22/1081 dated 30.11.2021 **(F/E)** has submitted the project report to this office for developing WSA along the Bundelkhand Expressway. The consultant has apprised that the proposed WSA at Ch: 121+594 to Ch: 121+866 (LHS) & from Ch: 121+620 to Ch: 121+993 (RHS) is only about a distance of 7 km from the proposed location of WSA at Ch: 128+500.

Further, consultant has suggested that the proposed location of WSA at Ch: 121+594 to Ch: 121+866 (LHS) & from Ch: 121+620 to Ch: 121+993 (RHS) may be negated from development of WSA at this location due to following reasons which have been reproduced below **(F/F)**:-

- *As per the "Policy guidelines for development of wayside amenities along national highways and expressways" issued by Ministry of Road Transport and Highways, Government of India vide notification no RW/NH-33044/14/2003-S&R(R)-Pt. dated 11th February 2021 suggests that the "Efforts would be made by the Highway Authorities to setup wayside amenities at every 40-60 km of travel distance. For divided carriageway this norm shall be applied separately in each direction". However, the location of the present WSA is about 7 km from the previous location at chainage of 128+500.*
- *The WSA's falls on the opposite sides where the same has not been earmarked under the DPR of the Project, unlike other WSA's.*
- *The location is abutting bridge, which shall create less frontage for the facility and may reduce its visibility for the user.*
- *These WSA's require service road access, which shall increase the Project Cost and also may require additional land acquisition for the same.*
- *River Birma is flowing adjacent to the proposed site. The channel of the river is at Ch: 121+550, with the width of 150 Mt. Hence, addition protection works to be employed for development which may increase the project cost."*

In view of above, as recommended by the consultant, M/s iDeCK Ltd., UPEIDA Board approval is solicited to negate construction of fifth additional WSA at Ch: 121+594 to Ch: 121+866 (LHS) & from Ch: 121+620 to Ch: 121+993 (RHS) along Bundelkhand Expressway and accordingly the preparation of bid documents and project report for construction of four numbers WSA as per provision of contract agreement.

<u>कार्यवाही / निर्णय</u>

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर पॉचवा अतिरिक्त WSA न बनाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं इस हेतु अधिग्रहीत भूमि का वैकल्पिक उपयोग हेतु प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–05 उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक।

अवगत कराना है कि सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय–व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् हैः–

(धनराशि करोड में)

	योजना का नाम	बजट प्राविधान		शासन स्तर/ वित्त संस्थाओ से जारी स्वीकृति	व्यय कुल
1	2	3		4	5
A	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड) परियोजना	अनुदान संख्या–7	250.00	250.00	195.00
	योग		**250.00**	**250.00**	**195.00**
B	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	1,106.79	1,106.79	1,106.79
	पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	2,000.00	2000.00	2000.00
	योग		**3106.79**	**3,106.79**	**3,106.79**
C	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	840.00	526.91	297.95
		अनुदान संख्या–7	941.68	941.66	470.83
	योग		**1,781.68**	**1468.57**	**768.78**
D	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	607.48	607.48	607.48
		भूमि कय	252.34	88.65	88.65
	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	-		
	योग		**859.82**	**696.13**	**696.13**
E	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	57.75	49.95	23.29
			57.75	**49.95**	**23.29**
F	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	1,435.86	1,435.86	1435.86
		भूमि कय	55.85	11.10	11.10
	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	1450.00	1450.00	1450.00
	योग		**2941.71**	**2896.96**	**2896.96**
G	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	329.50	306.80	158.61
	योग		**329.50**	**306.80**	**158.61**
H	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	अनुदान संख्या–7	150.00	83.48	49.89
	योग		**150.00**	**83.48**	**49.89**
I	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना	भूमि कय हेतु	2,200.00	2,200.00	2,200.00
		भूमि कय हेतु	5,000.00	-	
		यूटीलिटी एव अन्य व्यय	489.24	200.00	200.00
	योग		**7,689.24**	**2,400.00**	**2,400.00**
	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि कय हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		163.62	154.28	65.93
	योग		**163.62**	**154.28**	**65.93**
J	बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	50.00	-	
	अनुपूरा मांग के माध्यम से	अनुदान संख्या–7	50.00	-	
	योग		**100.00**	-	
	महायोग		**17,430.11**	**11,435.66**	**10,532.27**

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–06

मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के द्वारा जनपद सुल्तानपुर में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवें परियोजना के लोकार्पण मे हुये समस्त व्यय को एजेन्सी चार्जेज के रूप प्राप्त उपलब्ध धनराशि से भुगतान किया जाना।

कार्यवाही/निर्णय

उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–07

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवें परियोजना मे यूपीडा के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय संचालन व्ययो को एजेन्सी चार्जेज के रूप प्राप्त उपलब्ध धनराशि से भुगतान किया जाना।

कार्यवाही/निर्णय

उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–08

डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना मे यूपीडा के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय संचालन व्ययो को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–09

मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के द्वारा जनपद शाहजहॉपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास मे हुये समस्त व्यय को एजेन्सी चार्जेज के रूप प्राप्त उपलब्ध धनराशि से भुगतान किया जाना।

कार्यवाही/निर्णय

उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–10

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज–01 के चेनेज 09+200 पर चेंज ऑफ स्कोप के माध्यम से Entry and Exit facility के प्राविधानों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

मुख्य महाप्रबन्धक, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि श्री रणन्जय सिंह, ग्राम ढढौना, पोस्ट–सरया तिवारी, गोरखपुर द्वारा भीटी बांस गांव राज्य मार्ग संख्या–146 को खजनी से उनवल के मध्य क्रास कर रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रसवे (एक्सप्रेसवे चैनेज 09+200) पर यात्रियों हेतु Entry and Exit Facility का प्राविधान किये जाने की मांग की गई थी ।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रसवे राष्ट्रीय राजमार्ग–27 गोरखपुर से प्रारम्भ होता है। इसके प्रारम्भ में ही एक्सप्रेसवे पर प्रवेश एवं निकासी हेतु प्राविधान किया गया है। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश एवं निकासी हेतु अगला प्राविधान चैनेज 12+520 पर प्रदान किया गया है। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश निकासी दिये जाने हेतु एक्सप्रेसवे मैनुअल के क्लाज 3.35 में निम्नवत् प्राविधान है:–

" 3.3.5- Interchange spacing is based upon demand for access from the important cross roads, adequate distance to provide for signing and weaving and permit sufficient lengths of speed change lanes for respective adjacent interchange to operate safely and efficiently at a desired level of service. For expressways, a spacing of 3 km is absolute minimum from deceleration, weaving and acceleration consideration. ***For spacing less than 3 km, both the interchange shall be considered as a combined one****. For expressways, a spacing of 20-30 km is desirable."*

चैनेज 09+200 से 12+520 तक सर्विस मार्ग का प्राविधान किया गया है, परन्तु उक्त मांग के क्रम में अथारिटी इन्जीनियर द्वारा पत्र संख्या–TPF/AE/SCIA037/ 2020-21/521 दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चौनेज 09+200 पर एक्सप्रेसवे को राज्य मार्ग क्रास करता है तथा इस स्थान पर Double Cell VUP का प्राविधान किया गया है । यह राज्य मार्ग बांस गांव तथा खजनी को जोड़ता है जो कि गहन आबादी वाले महत्वपूर्ण कस्बे है जिसके दृष्टिगत इस स्थान पर एक्सप्रेसवे पर चढ़ने एवं उतरने हेतु Entry and Exit Facility का प्राविधान किया जाना उपयोगी होगा । उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 5012/UPEIDA/19/1717/Tech दिनांक 01.09.2021 द्वारा अथारिटी इन्जीनियर से पैकेज–01 के चेनेज 09+200 पर चेंज ऑफ स्कोप के माध्यम से Entry and Exit facility के प्राविधान किये जाने हेतु चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया। तत्क्रम में टीम लीडर अथारिटी इन्जीनियर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ने पत्र संख्या TPF/AE/SCIA037/2020-21/595 दिनांक 29.09.2021 द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज–01 के कान्ट्रैक्टर को एक्सप्रेसवे के चैनेज 09+200 पर चेंज ऑफ स्कोप के माध्यम से Entry and Exit facility के प्राविधान करने हेतु चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस निर्गत किया गया है ।

<u>कार्यवाही / निर्णय</u>

उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.12.2021 को सम्पन्न हुई 70वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27.12.2021 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी